23/6/12 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र लोलावा में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 1 से 9 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित। वकील विप्रार्थी के ओर से जवाब पेश किया गया। जो शामिल मिसल हो। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र लोलावा)
पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.12/2017

प्रार्थीगण

मानाराम पुत्र कालू जाति मेघवाल निवासी लोलावा पटवार हल्का गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. करना पुत्र लुम्भाराम
2. देवाराम पुत्र लुम्भाराम
3. तीजा पत्नि लुम्भाराम
4. आम्बाराम पुत्र नारणाराम
5. सिगरती पत्नि नारणाराम
6. मोहनराम पुत्र हुकमाराम
7. अमेदाराम पुत्र प्रहलाद नाबालिग कूदरती माता मीरा पत्नि प्रहलाद
8. अनु पत्नि हुकमाराम
9. छगना पुत्र हबताराम
10. धना पुत्र शेम्भू
11. धमण्डा पुत्र काना
12. विरधा पुत्र काना
13. पीरा पुत्र काना
14. घेवा पुत्र काना
15. बिजूराम पुत्र मंगलाराम जातियान मेघवाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
16. प्रभू पुत्र गुमना जाति कुम्हार निवासी लोलावा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
17. आम्बाराम पुत्र केवाराम जाति कलबी निवासी लोलावा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
18. तहसीलदार सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

उपस्थिति–

1 श्री रामजीवन विश्नोई,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2 श्री बाबुलाल विश्नोई,अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 से 9

3 पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिणधरी) विप्रार्थी सं.18 की ओर से उपस्थित।

4 विप्रार्थी स.10 से 17 एकरतफा।

आदेश

दिनांक– 23.6.17

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लोलावा पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71 व 86 कुल रकबा 25–01 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम लोलावा पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71 व 86 कुल रकबा 25–01 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 18.02.2017 को करवाई गई थी। एवं विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 9 की ओर से जरिये अधिवक्ता जबाव पेश किया गया। शेष विप्रार्थी स.10 से 17 बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी सं.18 की ओर से जवाब पेश नही किया गया।

3.उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लोलावा पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71 व 86,कुल रकबा 25–01 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

ाढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम लोलावा पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71 व 86 कुल रकबा 25–01 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. इसके विपरीत वकील विप्रार्थी स. 1से 9 की बहस है कि विवादित भुमि पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से लेकर आज दिनांक तक प्रार्थी का कब्जा न होकर विप्रार्थी स. 1 से 9 का कब्जा काश्त है। जिस पर विप्रार्थी की रहवासी ढाणी टांके,बाड़े इत्यादि बने हुए है। विवादित भुमि का प्रार्थी व विप्रार्थी ने वर्षो पूर्व आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा करवाते हुए उक्त भुमि विप्रार्थी को मिली थी। जिस पर विप्रार्थी का शान्तिपूर्ण कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी के तीन ग्राम लोलावा,टुकिया व छोटु मे खेत आये हुए है,छोटु मे खेत खसरा संख्या 87,91,102,199,89,90 मे विप्रार्थी का 1/4 हिस्सा था। उक्त 1/4 हिस्से `के बदले मे छोटु के बजाय ग्राम लोलावा की उक्त विवादित भूमि पर कब्जा करवाया,जो आदिनांक तक चला आ रहा है। एवं टुंकिया का खेत संयुक्त खातेदारी का है। कि जब तक प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के तीनो गांवो के सभी खसरो की धोषणा व बंटवाड़ा विधिवत नही किया जावे। तब तक नेखमबंदी को स्थगित या आवेदन खारिज किया जावे।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम लोलावा पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71 व 86 कुल रकबा 25–01 बीघा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत **2071 से 2074** से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,वकील विप्रार्थी स.1 से 9 की ओर से अपनी बहस मे मुख्य कथन किया गया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा न होकर विप्रार्थी का है और उक्त भूमि पारिवारिक बंटवाड़ा मे विप्रार्थी को दी गई। है,उक्त कथन मानने योग्य नही है,क्योकि विप्रार्थी द्वारा [redacted] उक्त कथनो के सबंध मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये है,जिससे साबित हो कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा न होकर विप्रार्थी का है,केवलमात्र मौखिक कथन करने से कुछ नही होता है। जबकि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार होता है।इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

स्वीकार किये जाने योग्य है। एवं शेष विप्रार्थी स.10 से 17 बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थी स.10 से 17 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

6. **लिहाजा**,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम लोलावा पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71 व 86 कुल रकबा 25—01 बीघा भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

23/6/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 23/6/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

23/6/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner